झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

षष्ठम् झारखण्ड विधान-सभा

[तृतीय(मानसून)सत्र]

शुक्रवार,तिथि- 01 अगस्त, 2025 (ई0)
10 श्रावण,1947 (श0)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

प्रारम्भिक-कार्य

(01)- अध्यक्ष का प्रारम्भिक वक्तव्य।

(02)- शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो)।

सभापति तालिका की घोषणा

(03)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम 10(1) के अन्तर्गत सभापति तालिका की घोषणा।

समितियों का गठन

(04)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन। (यदि हो)

औपचारिक-कार्य

(05)- सभा द्वारा विगत सत्र में स्वीकृत माननीया राष्ट्रपति एवं माननीय राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयकों की विवरणी का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना।

(06)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य। (यदि हो)

(07)- **शोक-प्रकाश**

माणिक लाल हेम्ब्रम
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा राँची।

कृ0पृ0उ0/

ज्ञाप संख्याः–कार्य0का0सू0–08/2025–.2075.../वि0स0,राँची,दिनांक–.31.07..25

प्रतिलिपिः–माननीय सदस्यगण,झारखण्ड विधान–सभा,राँची/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय नेता प्रतिपक्ष,झारखण्ड विधान सभा/सरकार के मुख्य सचिव,झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ महासचिव लोकसभा, नई दिल्ली/ महासचिव राज्य सभा, नई दिल्ली/ झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 31/07/2025

(हरेन्द्र कुमार साह)

उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–कार्य0का0सू0–08/2025–.2075../वि0स0,राँची,दिनांक–.31..07..25

प्रतिलिपिः–अवर सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 31/07/2025

उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–कार्य0का0सू0–08/2025–.2075./वि0स0,राँची,दिनांक–...31..07..25

प्रतिलिपिः–झारखण्ड विधान–सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/ पुस्तकालय शाखा ,जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान–सभा टी0वी0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 31/07/2025

उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

31.07.25

झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

षष्टम झारखण्ड विधान–सभा
संख्या–20

द्वितीय (बजट) सत्र
गुरूवार, दिनांक–27 मार्च, 2025 ई०।

समय–11.00 बजे पूर्वा० से 08.08 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा कानून–व्यवस्था विषय पर भारी शोरगुल एवं विरोध प्रदर्शन के बीच सदन में भारी अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण सभा की कार्यवाही 12.55 बजे० तक के लिए स्थगित की गयी। जिसके कारण आज के लिए स्वीकृत प्रश्नकाल, शून्यकाल एवं ध्यानाकर्षण की सूचनाएँ नहीं ली जा सकीं।

(स्थगनोपरांत)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:–

आसन की अनुमति से वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा पंचम् राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं एतद् सम्बन्धी अनुवर्त्ती कार्रवाई सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन की प्रति सभा पटल पर रखा गया।

इसके उपरांत आसन की अनुमति से माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री बाबूलाल मराण्डी द्वारा राज्य में अनियंत्रित कानून–व्यवस्था एवं हो रही घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए तत्काल इसपर सरकार द्वारा चर्चा कराये जाने की माँग की. जिसपर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री राधा कृष्ण किशोर ने कानून–व्यवस्था के दुरूस्त होने तथा इस विषय पर सरकार की जीरो टॉलरेंस पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए समुचित वक्तव्य दिया।

(अन्तराल)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

2.गैर सरकारी संकल्प:–

षष्टम् झारखण्ड विधान सभा के द्वितीय (बजट) सत्र में निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा गैर–सरकारी संकल्प की सूचनाएँ दी गयी जिसपर सरकारी उत्तर के पश्चात् उनके द्वारा संकल्प वापस लिया गया अथवा ध्वनिमत से अमान्य किया गया–

क्र.सं.	माननीय सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	स्थिति
01.	श्री दशरथ गागराई	सरायकेला–खरसावां जिला के आमदा में निर्माणाधीन 500	वापस

		बेड वाले अस्पताल का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराना।	
02.	श्री जिगा सुसारन होरो	1932 खतियान के आधार पर जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाईन कराना।	वापस
03.	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई एवं शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।	वापस
04.	श्री अनन्त प्रताप देव	भवनाथपुर पावर प्लांट का कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में।	वापस
05.	श्री जयराम कुमार महतो	1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू कराने के सम्बन्ध में। **(यह संकल्प आसन की अनुमति से अंत में लिया गया।)**	वापस
06.	श्री प्रदीप यादव	राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण एवं अन्य आर्थिक सुविधाएँ देने के सम्बन्ध में।	वापस
07.	श्रीमती रागिनी सिंह	सरकार द्वारा कोयला खनन हेतु स्थानीय के विस्थापित स्थान पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना।	वापस
08,	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी	माली मुहल्ला से पुरानी बाजार, गढ़वा के बीच दानरो नदी पर पुल निर्माण कराना।	वापस
09.	श्री राज सिन्हा	धनबाद जिला मुख्यालय अन्तर्गत पूजा टॉकिज से बैंक मोड़ के मध्य गया पुल अंडरपास के निर्माण सम्बन्धी।	वापस
10.	श्री निरल पुरती	पश्चिमी सिंहभूम के मंझारी प्रखण्ड अन्तर्गत तोरलो जलाशय के गाद की सफाई एवं जीर्णोद्धार सम्बन्धी।	वापस
11.	श्री सुखराम उराँव	चक्रधरपुर के नकटी एवं जेनासाई जलाशय के पुराने आउटलेट गेट को बदलकर नया लगाना।	वापस
12.	श्री उमाकांत रजक	बोकारो जिला के चंदनक्यारी प्रखण्ड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज की स्थापना कराना।	वापस
13.	श्री आलोक कुमार चौरसिया	डाल्टनगंज–शाहपुर के बीच कोयल नदी पर पूर्व के पुल के बगल में अतिरिक्त पुल की माँग।	वापस
14.	श्री संजय कुमार सिंह यादव	हुसैनाबाद अनुमण्डल के सोन नदी से जल लिफ्टिंग कर नहर में पानी लाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	वापस
15.	श्री विकास कुमार मुण्डा	राँची के डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बीर बुधु भगत विश्वविद्यालय किया जाना।	वापस
16.	श्री नागेन्द्र महतो	कोनार नहर सिंचाई परियोजना के सभी बाधाओं को दूर करते हुए इसे पूर्ण कराना।	वापस
17.	श्री मनोज कुमार यादव	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए जमीन के हकदार को न्याय दिलाना।	वापस
18.	श्री समीर कुमार मोहन्ती	बहरागोड़ा प्रखण्ड में एक राजकीय नर्सिंग कॉलेज की स्थापना कराना। **(माननीय सभापति महोदय ने आसन ग्रहण किया।)**	वापस
19.	श्री जनार्दन पासवान	नीलगायों को ग्रामीण क्षेत्रों में आने से रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाने के सम्बन्ध में।	वापस
20.	श्रीमती मंजू कुमारी	जमुआ प्रखण्ड को अनुमण्डल बनाने की माँग सम्बन्धी।	वापस
21.	श्री रामचन्द्र सिंह	बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पलामू वन प्राणी आश्रयणी एवं महुआडांड़ आश्रयणी अन्तर्गत ईको सेंसेटिव जोन कम करना। **(यह संकल्प आसन की अनुमति से क्र.सं.–23 के बाद लिया गया।)**	वापस
22.	श्री भूषण बड़ा	राँची से सिमडेगा भाया कोलेबिरा मार्ग को फोरलेन सड़क बनाना	वापस

		(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)	
23.	श्री मथुरा प्रसाद महतो	धनबाद रेल लाईन से भाया टुण्डी होते हुए गिरिडीह रेल लाईन तक नयी रेल लाईन को जोड़ना।	वापस
24.	श्री सोनाराम सिंकू	जगरनाथपुर विधान सभा क्षेत्र के टोंटो प्रखण्ड अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में नियमित विद्युत आपूर्ति कराना।	वापस
25.	श्रीमती ममता देवी	उरबा पंचायत, दुलमी, रामगढ़ निवासियों के हित में जमीन का रसीद काटने एवं पंजी–2 का सत्यापन सुनिश्चित कराना।	वापस
26.	श्री अरूप चटर्जी	निरसा को अनुमण्डल बनाने सम्बनधी।	वापस
27.	श्री नवीन जयसवाल	विस्थापितों को बने आवास का आवंटन एवं एच.ई.सी. के सरप्लस लैण्ड विस्थापितों रैयतों को वापस कराना।	ध्वनिमत से सभा द्वारा अस्वीकृत
28.	श्री चन्द्रदेव महतो	धनबाद जिला अन्तर्गत बलियापुर प्रखण्ड के सरिसाकुण्डी में दामोदर नदी पर पुल का निर्माण।	वापस
29.	श्री रोशन लाल चौधरी	विस्थापन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन आयोग का गठन कराना।	वापस
30.	डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता	अमानत बराज को पूर्ण कराकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	अपृष्ठ
31.	श्री निर्मल महतो	1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति से सम्बन्धी विधेयक को अधिनियम बनाकर लागू कराना।	अपृष्ठ
32.	श्री अमित कुमार यादव	बरही अनुमण्डल को जिला बनाना।	वापस
33.	श्री नरेश प्रसाद सिंह	खजुरी जलाशय योजना का कैनाल निर्माण कराना।	वापस
34.	श्री कुमार उज्ज्वल	चतरा जिला के ईटखोरी प्रखण्ड को अनुमण्डल बनाना।	वापस
35.	श्री सरयू राय	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 के प्रावधान अविलम्ब लागू कराना।	वापस
36.	श्री शत्रुघ्न महतो	बाघमारा में चल रही जलापूर्ति योजनाओं को ससमय अविलम्ब प्रारम्भ कराना।	वापस
37.	श्री सुरेश पासवान	देवघर जिलान्तर्गत रिखिया को प्रखण्ड का दर्जा दिलाना।	वापस
38.	डॉ० नीरा यादव	कोडरमा के विभिन्न ग्राम में वन्य प्राणी से नुकसान रोकने हेतु कदम उठाना।	वापस
39.	श्रीमती निसात आलम	पाकुड़ के चिहि्नत स्थल में निर्धन जूट किसानों हेतु जूट उद्योग की अधिष्ठापन एवं परिचालन के सम्बन्ध में।	वापस
40.	श्री अमित कुमार	राँची जिलान्तर्गत दानभूमि पर अवैध खरीद–बिक्री की जाँच एवं दोषियों पर कार्रवाई तथा प्लॉट संख्या–854 एवं 499 पर ग्रामीणों को अधिकार दिलाना।	वापस
41.	श्री प्रदीप प्रसाद	हजारीबाग झील का जीर्णोद्धार एवं विकास कराना।	वापस
42.	श्री राजेश कच्छप	केन्द्रीय कानून **CNTA, SPTA** को राज्य की आदिवासियों एवं मूलवासियों की रक्षा हेतु कड़ाई से अनुपालन तथा उल्लंघन करनेवालों पर कार्रवाई सम्बन्धी।	वापस
43.	श्री स्टीफन मराण्डी	महेशपुर प्रखण्ड के पंचायत एवं ग्राम–महेशपुर में अविलम्ब कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराना।	वापस

गैर सरकारी संकल्प की समाप्ति के उपरांत सदन नेता सह माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन द्वारा सरकार की चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं एवं आनेवाले दिनों में सरकार की भावी योजनाओं पर

विस्तार से प्रकाश डाला गया एवं सत्र के दौरान प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों एवं अन्य विषयों का समुचित उत्तर देते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया गया।

3.माननीय अध्यक्ष महोदय का समापन भाषणः—

माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने समापन भाषण को आरम्भ करते हुए कहा कि 24 फरवरी, 2025 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक—27 मार्च, 2025 तक कुल 20 कार्य बैठकों के बाद षष्टम् झारखण्ड विधान सभा का द्वितीय (बजट) सत्र अवसान के करीब पहुँच गया है। लम्बे अन्तराल के बाद हम सबने मिलकर कुछ मिनटों—घंटों की बाधा को छोड़कर सदन के समय का जिस प्रकार सदुपयोग किया है वह ऐतिहासिक है, जो पक्ष—विपक्ष के सहयोग से सम्भव हो पाया।

इस सत्र में कुल—1195 प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें कुल—246 अल्पसूचित एवं 851 तारांकित प्रश्न थे। इनमें 59 अल्पसूचित तथा 66 तारांकित प्रश्न सदन में उत्तरित हुए तथा 98 स्वीकृत अतारांकित प्रश्न विभाग के पास लम्बित हैं। 464 शून्यकाल स्वीकृत हुए साथ ही 95 ध्यानाकर्षण की सूचनाएँ स्वीकृत हुईं जिनमें 62 ध्यानाकर्षण की सूचनाएँ उत्तरित हुईं। सत्र में कुल—83 निवेदन माननीय सदस्यों से प्राप्त हुए जिसे निवेदन समिति को भेजा गया है। विनियोग विधेयक सहित कुल—05 विधेयक सभा में पुरःस्थापित किया गया जो सदन द्वारा पारित हुआ।

बजट सत्र की शुरूआत माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि यह सरकार जनसेवा की सरकार है। गरीबों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों और किसानों को उनका हक और अधिकार मिले, इनका सर्वांगीण विकास हो, यह राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। झारखण्ड की अस्मिता, संस्कृति, भाषा और सभ्यता को बढ़ावा देते हुए विकास के लिए सरकार कृत—संकल्पित है। माननीय वित्त मंत्री के द्वारा विकासोन्मुखी अबुआ बजट 01 लाख, 45 हजार, 04 सौ करोड़ रूपये का वित्तीय वर्ष 2025—26 का बजट इस सदन में प्रस्तुत किया गया और सभा ने इसे सहमति प्रदान की।

माननीय सदस्यों के प्रश्नों का सटीक और तार्किक उत्तर विभागों द्वारा मिले तथा माननीय मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों को गम्भीरता से लागू कराये जायँ साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि मेरे लिए सदन में न पक्ष, न विपक्ष, हर कोई सदस्य है और उसी भाँति मैंने सदन संचालन में सदस्यगणों को अपनी अभिव्यक्ति के लिए संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया। हमारा राज्य एक युवा राज्य है तथा इस युवा राज्य के युवा नेतृत्वकर्त्ता माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन के हौसले बुलन्द हैं तो निश्चय ही बेहतर राज्य का निर्माण होगा। इस लम्बे सत्र के सफल संचालन में सचिवालय एवं विधानसभा सचिवालय के पदाधिकारी, कर्मीगण, पुलिसकर्मी, प्रेस मीडिया के साथीगण हरेक व्यक्ति ने अपना योगदान दिया जिन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ साथ ही आनेवाले त्योहार ईद—उल—फितर, सरहुल, गुड फ्राईडे, रामनवमी की शुभकामना देते हुए अपने समापन भाषण को समाप्त किया तथा सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक—27मार्च, 2025 ई०।

माणिक लाल हेम्ब्रम,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।